महत्वपूर्ण/अनुपालन
संख्या-भा0स0-647/60-2-19-2/1(23)13टीसी

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
कृ0 नियमानुसार
कार्यवाही करें।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

DM
22/11

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2019

विषय : आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1161/60-2-2013-2/1(23)/13 दिनांक 09 अक्टूबर, 2013, शासन के पत्र संख्या-2548/60-2-2016-2/1(23)13 टीसी दिनांक 10 नवम्बर, 2016 एवं संख्या-21/2017/1355/60-2-2017-2/1(23)13 दिनांक 31 मई, 2017, जिसके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिए जाने व विभाग के वाहनों के अन्यत्र उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि प्रदेश में शिशुओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक बच्चे, किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ पोषण अभियान एवं मातृ वन्दना योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें अति कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को गरम पका-पकाया भोजन, फल आदि उपलब्ध कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में लाभार्थियों के सर्वे/सत्यापन का कार्य कराया जाता है। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से अन्य विभागों के कार्य लिए जाने से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रकरण में शासनादेश दिनांक 09.10.2013 द्वारा आदेश निर्गत किया गया और पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2016 व 31 मई, 2017 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अनुस्मरण भी कराया गया, किन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य भी कराये जा रहे हैं, जिससे बाल विकास विभाग के महत्वपूर्ण तथा समयबद्ध प्रकृति के

-2/

कार्यों के कियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाग पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की गयी है।

3– अतः उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.10.2013 एवं पत्र दिनांक 10.11.2016 व 31.05.2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से सामान्यतया बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यो के अतिरिक्त अन्य विभागों का कार्य न लिया जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या– भा0स0–647/60–2–19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या–डब्ल्यूबीपी–29/4/2019–सीपीएमयू दिनांक 05.11.2019 के कम में।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि यदि जनपदों से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, तो इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।